रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13022023-243572
CG-DL-E-13022023-243572

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 77] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 13, 2023/माघ 24, 1944
No. 77] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 13, 2023/MAGHA 24, 1944

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2023

सा.का.नि. 94(अ).—केंद्रीय सरकार पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 97 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड नियम, 1974 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्-:

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड (संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड नियम, 1974 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 4 में.-

(i) उप-शीर्षक "भर्ती की पद्धति" के अधीन, उप-नियम 1 में, "मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति" शब्दों के स्थान पर "मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति" शब्दों को रखा जाएगा।

(ii) उप-शीर्षक "वेतन" के अधीन, उप-नियम 2 के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"2. वेतन

(i)(क) बोर्ड के अध्यक्ष की संशोधित वेतन संरचना केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार, वेतन मैट्रिक्स में स्तर-16 (205400-224400 रुपये) होगी।

(ख) बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्यों की संशोधित वेतन संरचना केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार, वेतन मैट्रिक्स में स्तर-15 (182200-224100 रुपये) होगी।

परंतु ऐसे मामलों में जहां राज्य सरकार अथवा केंद्रीय सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में सेवारत व्यक्ति को अध्यक्ष अथवा पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है तो ऐसी नियुक्ति वेतन, वेतन-वृद्धि, उपदान, पेंशन अथवा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी, जिसे वह आहरित अथवा प्राप्त कर रहा है, यदि ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष अथवा पूर्णकालिक सदस्य, जैसा भी मामला हो, के रूप में नियुक्त न किया गया हो।

(ii) अध्यक्ष अथवा पूर्णकालिक सदस्य नियम 6 में यथासंदर्भित पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड-III (यात्रा भत्ता नियमावली) के अधीन पंजाब सरकार के उच्चतम ग्रेड के अधिकारियों को स्वीकार्य, अथवा भारत सरकार के अन्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (जल-विद्युत) के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक अथवा निदेशकों के लिए स्वीकार्य अथवा केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से, अपने उच्चतम रैंक के अधिकारियों के लिए भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड द्वारा, समय-समय पर अपनाए गए यात्रा भत्तों और अन्य भत्तों, जो भी अधिक हों, के पात्र होंगे;

परंतु यदि किसी मामले में कोई व्यक्ति भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर आने वाले किसी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में सेवारत होता है, तो उक्त बोर्ड में उनकी प्रतिनियुक्ति के दौरान कार्य-निष्पादन संबंधी वेतन स्वीकार्य नहीं होगा।

(iii) अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों के वेतन और भत्तों का भुगतान बोर्ड की निधियों से किया जाएगा।"

(iii) उप नियम 3 में उप शीर्षक "पात्रता" के अधीन,-

(क) खंड (i) में, "होनी चाहिए" शब्द के स्थान पर "होगी" शब्द रखा जाएगा।

(ख) खंड (ii) के लिए, निम्नलिखित खंड को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"यथा लागू पिछले पांच वर्षों के लिए अद्यतन वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट डोसियर उपलब्ध होगी।"

(ग) खंड (iii) में, शब्द "होनी चाहिए" के स्थान पर "होगी" शब्द रखा जाएगा।

(घ) खंड (iv) में, उप खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित उप खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(क) अध्यक्ष.- अध्यक्ष की अर्हताएं तथा अनुभव निम्नानुसार हैं:-

(अ) अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से सिविल अथवा इलेक्ट्रिकल अथवा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग स्नातक होना चाहिए।

(ब) अभ्यर्थी को कम से कम पच्चीस वर्ष का नियमित अनुभव होना चाहिए जिसमें निम्नलिखित क्षेत्र में परियोजना प्रमुख के रूप में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव (आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को) होना चाहिए-

(i) निर्माण अथवा प्रचालन अथवा अनुरक्षण-

(क) 200 मेगावाट अथवा उससे अधिक क्षमता की वृहद् जल विद्युत परियोजनाओं**;** अथवा

(ख) 132 किलोवोल्ट अथवा उससे अधिक के वोल्टता स्तर वाली न्यूनतम 500 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइन; अथवा

(ii) बड़े बांधों (न्यूनतम ऊंचाई 50 मीटर और लंबाई 300 मीटर) अथवा बैराज (न्यूनतम 15 मीटर ऊंचाई और 350 मीटर लंबाई) अथवा न्यूनतम 1000 क्यूसेक की जल वहन क्षमता वाले नहर नेटवर्क का निर्माण अथवा प्रचालन अथवा अनुरक्षण; अथवा

(स) अभ्यर्थी ने सिंचाई अथवा विद्युत परियोजनाओं के निर्माण अथवा प्रचालन अथवा रखरखाव अथवा आयोजना अथवा डिजाइनिंग में न्यूनतम पच्चीस वर्षों के नियमित अनुभव सहित मुख्य अभियंता (ज्येष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर) के रूप में कार्य किया हो।"

[फा. सं. 5-8/24/2017-बीबीएमबी]

मोहम्मद अफज़ल, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 1330, तारीख 11 दिसंबर, 1974 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 148 (अ), तारीख 23 फरवरी, 2022 द्वारा किए गए थे।

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February , 2023

G.S.R. 94(E).—in exercise of the powers conferred by section 97 of the Punjab Re-organisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby makes the following rules to further amend the Bhakra Beas Management Board Rules, 1974, namely:-

1. **Short title and commencement-**(1)These rules may be called the Bhakra Beas Management Board (Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Bhakra Beas Management Board Rules, 1974 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 4.-

(i) under sub-heading "Method of Recruitment", in sub-rule 1, for the words "Appointment Committee of Cabinet", the words "Appointments Committee of the Cabinet" shall be substituted.

(ii) under sub-heading "Salaries", for sub-rule 2, the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"2. Salaries

(i)(a) The revised pay structure of the Chairman of the Board shall be level-16 (Rs. 205400-224400) in the pay matrix, in accordance with the provisions of the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2016.

(b) The revised pay structure of whole-time Members of the Board shall be level-15 (Rs. 182200-224100) in the pay matrix, in accordance with the provisions of the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2016:

Provided that where a person serving under the State Government or the Central Government or the Public Sector Undertaking is appointed as the Chairman or a whole-time Member, such appointment shall not adversely affect the pay, increment, gratuity, pension or other retirement benefits which he would have drawn or received as if he had not been so appointed as Chairman or whole-time Member as the case may be.

(ii) The Chairman or a whole-time Member shall be entitled to such travelling allowance and other allowances as are admissible to the officers of the highest grade of the Government of Punjab under the Punjab Civil Services Rules, Vol. lll (Travelling Allowance Rules) as referred to in rule 6, or as admissible to the Chairman-cum-Managing Director or Directors of the other Central Public Sector Enterprises (Hydro Power) of the Government of India or as adopted from time to time, by the Bhakra Beas Management Board for its highest ranking officers, with the approval of the Central Government, whichever is higher:

Provided that in case of a person serving under any Central Public Sector Enterprise coming on deputation to the Bhakra Beas Management Board, the performance related pay shall not be admissible during their deputation in the said Board.

(iii) The salary and allowances of the Chairman and whole-time Members shall be paid out of the funds of the Board."

(iii) under sub-heading "Eligibility", in sub-rule 3,-

(a) in clause (i), for the word "should" the word "shall" shall be substituted.

(b) for the clause (ii), the following clause shall be substituted, namely:-
"The up-to-date Annual Confidential Reports dossiers for the last five years as applicable shall be available."

(c) in clause (iii), for the word "should" the word "shall" shall be substituted.

(d) in clause (iv), for sub-clause (a), the following sub-clause shall be substituted namely:-

"**(a) Chairman.-** The qualifications and experience of Chairman are as under:-

(A) the candidate should be an Engineering Graduate in Civil or Electrical or Mechanical Engineering from a recognised University or Institution.

(B) the candidate should have a minimum of twenty-five years of regular experience including a minimum of five years experience (as on the closing date of application) as head of project involved in the area of,-

(i) Construction or operation or maintenance of,-
(a) large hydro electric projects with 200 megawatts capacity or more; or
(b) minimum 500 circuit kilometres transmission line, having voltage level of 132 kilovolts or above; or

(ii) Construction or operation or maintenance of large dams (minimum 50 metres height and 300 metres length) or barrage (minimum 15 metres height and 350 metres length) or canal network with water carrying capacity of minimum 1000 cusecs; or

(C) the candidate should have worked as a Chief Engineer (Senior Administrative Grade Level) with minimum twenty-five years of regular experience in construction or operation or maintenance or planning or designing of Irrigation or power projects."

[F. No. 5-8/24/2017-BBMB]

MOHAMMAD AFZAL, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1330, dated the 11th December, 1974 and were last amended *vide* notification number G.S.R. 148(E), dated the 23rd February, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA